FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O मुकाम बायतु

रतनाराम बनाम खंगारराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज०अधि० 111,128 RLRAct नं. 290/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/09/20	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/10/2020	प्रार्थीगण वकील उपस्थित विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा-सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो के मध्य जो कणे व गाडे आई हुई थी जो वर्तमान में आबियों	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

की वजह से बिखर गई है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर आपस में तनाव बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेखाम बंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखाम बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखाम बंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का नेखाम बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखाम बंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 814 दिनांक :– 21/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –290 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री रतनाराम पुत्र पीथाराम वगैरा 6 जाति–जाट, निवासी–सऊओं का वास, हीरा की ढाणी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		श्री खंगाराराम पुत्र सोनाराम वगैरा 38, निवासी–सऊओं का वास, हीरा की ढाणी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–सऊओं का वास, पटवार मण्डल–हीरा की ढाणी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 186 / 150, 188 / 150, 192 / 150 रकबा क्रमशः 23.07, 04.13, 01.13 बीघा व मौजा हीरा की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 542 / 139 रकबा 53.16 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक 21/10/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 815-19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, हीरा की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री रतनाराम पुत्र पीथाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री खंगाराराम पुत्र सोनाराम वगैरा 38।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, हीरा की ढाणी।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
21/10/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested